

उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-63/2017/823/37-1-2017-3(13)/2016

लखनऊ: दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-आदेश

डा0 नरेन्द्र कुमार गहलौत, तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चित्रकूट के विरुद्ध पशुपालकों को विशेष राहत सामग्री के रूप में भूसा वितरण न किये जाने, भूसा वितरण हेतु जिला प्रशासन से उचित समन्वय न स्थापित करने एवं भूसा वितरण योजना के संचालन में अपेक्षित सहयोग न करके लाभार्थियों को योजना के लाभ से वंचित रखने आदि आरोपों के लिये कार्यालय आदेश संख्या-1005/37-1-2016-3(13)/2016, दिनांक 01-04-2016 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया। अग्रेतर शासन के कार्यालय आदेश संख्या-1234/37-1-2016-3(13)/2016, दिनांक 26-04-2016 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये अपर निदेशक ग्रेड-2 पशुपालन विभाग झांसी मण्डल झांसी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या उनके पत्र संख्या-259/सी0सी0/जांच रिपोर्ट/2017-18, दिनांक 17-05-2017 द्वारा शासन को प्राप्त हुयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में डा0 नरेन्द्र कुमार गहलौत के विरुद्ध किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं की गयी। अग्रेतर जांच अधिकारी की जांच आख्या तथा अन्य संगत अभिलेखों के सम्यक परीक्षणोपरान्त डा0 नरेन्द्र कुमार गहलौत के विरुद्ध किसी भी आरोप को सिद्ध नहीं पाया गया।

2- अतएव श्री राज्यपाल डा0 नरेन्द्र कुमार गहलौत, तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी चित्रकूट के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना दण्ड के समाप्त करते हुये सेवा में बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

3- डा0 नरेन्द्र कुमार गहलौत की तैनाती के संबंध में आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे  
प्रमुख सचिव

संख्या-63/2017/823/37-1-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन।
- 3- गाई फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह  
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।